


सिटी



पालिका परिषद तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर (छ.ग.)

कमिशन / 1667 राजस्व / न.पा.प. / 2017-18

तिल्दा-नेवरा दिनांक 31-10-2017

संपत्तिकर की दरों में निम्नानुसार सुधार प्रस्तावित है

01	जोन क्रमांक	जोन में शामिल मोहल्ला एवं मार्ग
	जोन क्रमांक 01	01. स्टेशन चौक से केम्प, बी.एन.राईसगील 02. बीयरवार से खरोरा नाका 03. बीयरवार से सिमगा प्रवेश द्वार तक 04. दीनदयाल चौक से गुरुधारी दास चौक 05. बी.एन गील से गांधी कलाश स्टोर्स तक 06. गुरुधारी दास चौक से के.के.राईस गील तक 07. गांधी चौक से कन्या हाई स्कूल होते हुए कालेज रोड 08. दीनदयाल चौक से हेमू कलाणी चौक तक 09. सुभाष चौक से जैन मंदिर होते हुए पीताम्बर फुटस तक 10. शहर में विभिन्न स्थानों में स्थित रागरत राईस गील / व्यवसायिक परिसर / नर्सिंगहोम / होटल / लॉज / बैंकिंग संस्थान आदि क्षेत्र/रोड
	जोन क्रमांक 02	मुख्य बाजार, मुख्य मार्ग एवं मुख्य क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी से अंदर का सभी मोहल्ला एवं क्षेत्र

नियम 5 के अधीन भवनों व भूमियों का वार्षिक भाड़ा मूल्य अवधारण करने के प्रयोजन से भवनों के निर्मित क्षेत्रों के लिए प्रति वर्गफुट वार्षिक तथा भूमियों के लिए प्रतिवर्गफुट वार्षिक दर निर्धारण निम्नानुसार नियत किया जाता है।

जोन क्र.	आवासीय			व्यवसायिक			खुली भूमि	
	कच्चा	अर्द्ध पक्का	पक्का	कच्चा	अर्द्ध पक्का	पक्का	आवासीय	व्यवसायिक
01	9.75	11.25	12.75	16.5	18.75	20.63	4.5	6.75
02	8.5	10.00	11.55	15.00	16.5	19.00	3.00	5.00

01. पक्का - आर सी सी / आर बी सी / पत्थर की छतयुक्त पक्का भवन ।
02. आंशिक पक्का - सीमेंट / लोहे की चादर या कपेलु टाइल्स छतयुक्त भवन ।
03. कच्चा - जो उपरोक्त दोनों वर्गों में नहीं ।
04. 01 जनवरी से 31 मार्च तक (चालू वित्तीय वर्ष) 10% अधिभार (संपत्तिकर पर)

संपत्तिकर की दरें -

1. आरंभ से 10,000 रुपये तक	वार्षिक भाड़ा मूल्य का 6 प्रतिशत
2. 10,001 से 15,000 रुपये तक	वार्षिक भाड़ा मूल्य का 7 प्रतिशत
3. 15,001 से 20,000 रुपये तक	वार्षिक भाड़ा मूल्य का 8 प्रतिशत
4. 20,001 से 25,000 रुपये तक	वार्षिक भाड़ा मूल्य का 9 प्रतिशत
5. 25001 से ऊपर	वार्षिक भाड़ा मूल्य का 10 प्रतिशत

टीप :- बिन्दु क्रमांक 01 से 04 के भवन/भूमि पर परिक्षेत्र क्रमांक 01 की दरें लागू होगी।

01. विशेष वर्ग के भवन में निम्नांकित प्रकार के भवन शामिल है माल/सुपरबाजार, मल्टीप्लेक्स/सिनेप्लेक्स, आटो मोबाईल, शोरूम, बैंक/वित्तीय संस्थाएँ/ए. टी.एम शादी हाल, स्विगिंग पूल वाले होटल तथा 10 शय्याओं से बड़े निजी चिकित्सालय।
02. उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किसी ईकाई द्वारा भूमि के किसी भाग का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शोरूम दूकान होटल या अन्य व्यावसायिक प्रयोजन के लिए किये जाने की दशा में उस पर समीपस्थ मोहल्ले/कालोनी के लिए निर्धारित व्यावसायिक दर लागू होगी।
03. यदि किसी भूमि या भवन का उपयोग, उद्योग चलाने के लिए किया जा रहा है तो उस पर संबंधित परिक्षेत्र की व्यावसायिक दर लागू होगी।
04. कालोनाईजर नये और शेष मोहल्लों के संबंध में यदि किसी वार्ड में स्थित नई कॉलोनी या किसी पुराने मोहल्ले का उल्लेख होने से रह गया हो तो ऐसी कॉलोनी/मोहल्ले पर संपत्तिकर का निर्धारण उसके समीपस्थ अधिक दर वाली कॉलोनी/मोहल्ले के लिए लागू दर के आधार पर किया जाएगा ।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगरपालिका परिषद तिल्दा-नेवरा